

01/02/2024

PWD2-BUD/ANBU/38/2022-III-2-Public Works Department

183605/2024

492

ई पत्रावली संख्या-44379/06

प्रेषक,

श्याम सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

CECP/AAO

18/2/24

प्रमुख अभियन्ता
लोक निर्माण विभाग

लोक निर्माण अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक 19 जनवरी, 2024

विषय:- एस०सी०पी० योजना के अंतर्गत जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्रथराली के-
अंतर्गत थरालीजूनीधर मोटर मार्ग के अवशेष भाग का सुधारीकरण- एवं डामरीकरण का कार्य,
(विस्तृत आगणन)।

SSOCPI/14

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य अभियन्ता, क्षे.का., लोक निर्माण विभाग, पौड़ी द्वारा उपलब्ध कराये गये विषयगत कार्य के आगणन, जिसमें मोटर मार्ग की लम्बाई 2.40 किमी. एवं लागत, ₹ 227.37 लाख है, के शासन स्तर पर परीक्षणोपरान्त औचित्यपूर्ण पायी गयी धनराशि ₹ 222.12 लाख (रुपये दो करोड़ बाईस लाख बारह हजार मात्र) की प्रशासकीय तथा वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में व्यय हेतु ₹0.10 लाख (₹ दस हजार मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन में रखे जाने की श्री राज्यपाल निम्नांकित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व प्राविधिक स्वीकृति के सम्बन्ध में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या- I/149101/2023 दिनांक 25 अगस्त, 2023 में प्राविधानित व्यवस्थानसार कार्यवाही की जाय। यह भी देख लिया जाय कि उक्त कार्य इससे पूर्व अन्य विभागीय बजट से न कराये गये हों, यदि कराये गये हैं तो उस सीमा तक धनराशि की स्वीकृति के बाद आहरण नहीं किया जायेगा।
- शासनादेश संख्या-1191/III(2)2023-02(सामान्य)/2023 दिनांक 03.04.2023 द्वारा मार्ग नीति में समाविष्ट प्रस्तर के अनुसार कार्य को Cold Mix Technology से करवाया जाना सुनिश्चित करें।
- प्रत्येक स्वीकृत योजना हेतु ठेकेदार के साथ गठित किये जाने वाले अनुबन्ध में, निर्माण से सम्बन्धित माईलस्टोन एवं समय-सारणी स्पष्ट रूप से उल्लिखित की जायेगी तथा अनुबन्ध के अनुरूप ठेकेदार द्वारा कार्य पूरा न किये जाने की दशा में नियमानुसार आवश्यक क्षतिपूर्ति अध्यारोपित करते हुए वसूली की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
- ठेकेदार द्वारा समय से कार्य पूरा न करने की Debitable आधार पर अन्य एजेन्सी का अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 के अन्तर्गत नियमानुसार चयन कर निर्माण कार्य पूरा किया जायेगा। स्वीकृत निर्माण कार्य को किसी भी दशा में, शासन की पूर्वानुमति के बिना, अपूर्ण अवस्था में समाप्त नहीं किया जायेगा।
- निर्माण कार्यों को समयबद्ध रूप से पूर्ण किये जाने का समस्त उत्तरदायित्व सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता का होगा।
- कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाये।
- कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें। बजट मैनुअल के समस्त नियमों का भी अनुपालन किया जायेगा।

4
जी.एस.पी.
04.02.24

400

ASR
1/5

iii. आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है, व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

- ix. यदि विषयगत कार्य को लोक निर्माण विभाग के बजट से अथवा अन्य विभागीय बजट से कोई धनराशि स्वीकृत की गई है तो उस योजना हेतु इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण न करके धनराशि शासन को समर्पित कर दी जायेगी।
- x. स्वीकृत किये जा रहे कार्य हेतु वित्तीय हस्त पुस्तिका के सुसंगत नियमों, बजट मैनुअल तथा उत्तराखण्ड प्रैक्टिसरमेन्ट रूल्स- 2017 एवं उक्त के विषय में समय-समय पर निर्गत समस्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।
- xi. वर्तमान में व्यय हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय दिनांक 31.03.2024 तक सुनिश्चित किया जायेगा। यदि स्वीकृत कार्य के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होती है तो उसका व्यय संगत मद (चालू कार्यों) में निवर्तन में रखी गई धनराशि से किया जायेगा।
- xii. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या- 2047/XIV-219(2006) दिनांक 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- xiii. विषयगत कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 में व्यय हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि का बजट आवंटन, वित्त अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या- 183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च, 2012 के अनुक्रम में, लोक निर्माण विभाग के अनुदान संख्या-22, के अन्तर्गत संलग्न अलॉटमेंट आई.डी. द्वारा आपको आवंटित कोड संख्या- 4227 Chief Engineer PWD में किया जा रहा है।
- xiv. कार्य कराने से पूर्व आगणन में मक डिस्पोजल हेतु प्रस्तावित स्थलों का चिन्हीकरण कर इनके OGL/X-Section रिकॉर्ड कर लिये जायें। मक डिस्पोजल का भुगतान इन स्थलों के Final Levels के आधार पर वास्तविक डिस्पोजल की मात्रा आंकलित कर की जाये।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023-24 में लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं.- 30 लेखाशीर्षक-5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय -04 जिला तथा अन्य सड़कें-337 सड़क निर्माण कार्य -02 अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान-0 202 नया निर्माण कार्य-53 वृहद निर्माण (5054-04-800-02-05 से स्थानान्तरित) के नामे डाला जायेगा।

3- ये आदेश वित्त अनुभाग-2 के कम्प्यूटरजनित क्रमांक-I/ 182870 /2024 दिनांक 16 जनवरी, 2024 में प्रदत्त सहमति के क्रम में जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

Signed by Shyam Singh
Date: 18-01-2024 18:30:18

(श्याम सिंह)
संयुक्त सचिव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), उत्तराखण्ड, कौलागढ़, देहरादून।
2. सचिव, मा मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
4. जिलाधिकारी, चमोली।
5. मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, लो.नि.वि., पौड़ी।
6. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. वित्त अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन।
8. अधीक्षण अभियन्ता, सातवाँ वृत्त, लोक निर्माण विभाग, गोपेश्वर।

वर्ष (2023 - 2024)

PWD(S038)

PD(4227)

9. अधिशासी अभियन्ता, नि.ख., लोक निर्माण विभाग, थराली।
10. गार्ड फाईल।

(श्याम सिंह)

संयुक्त सचिव।

183605/2024

संख्या सीपीए

5054-सड़क तथा संयुक्त पर पूंजित
परिसर

04-जिला तहसील अन्य सड़क

337-सड़क निर्माण कार्य

03-संयुक्त प्रांतियों के लिए योजना
प्रस्तावित स्थान

संयुक्त कार्य (5054-04-800-
संयुक्त)

Voted

4	0	4	3	3	7	0	2	0	2
पूर्व में जारी		वर्तमान में जारी		अब तक का कार्य		योग			
40000		10000		0		50000			
40000		10000		0		50000			

अधिकतम अंशगत To HOD In Above Schemes-Rs.10,000 (Rupees Ten Thousand Only)

APPROVED BY OFFICER

RD

संयुक्त प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग

निर्देशन - (सत्यनन्द देहरादून)

Officer-in-Chief, PWD, Dehradun (General)

Web: <http://govt.nic.in>

E-mail: ewp@nic.in

प्रसंग / 20 मार्च को संख्या 1/2024

दिनांक 02.2024

प्रतिष्ठान - निर्माण कार्य के सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. मुख्य अभियन्ता, संयुक्त लोक निर्माण विभाग, पौड़ी।
2. अधीक्षक अभियन्ता, 07, लोक निर्माण विभाग, कोशीपुर।
3. अधीक्षक अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, थराली।
4. अधीक्षक अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, देहरादून को इस आदेश के अंतर्गत कि इस आदेश को सभी विभागीय 'सहायक' पर अपलोड करने का कार्य करे।

1. संयुक्त अभियन्ता, संयुक्त लोक निर्माण विभाग, (सत्यनन्द देहरादून)।

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2023 - 2024)

Secretary-Secretary, PWD(S038)

HOD-Chief Engineer PWD(4227)

आवंटन पत्र संख्या -I/183605/2024

अनुदान संख्या -030

आवंटन आई डी-S24010300030

आवंटन पत्र दिनांक-29-JAN-2024

लेखा शीर्षक 5054-सड़क तथा सेतुओं पर पूँजीगत
परिव्यय

337-सड़क निर्माण कार्य

02-नया निर्माण कार्य (5054-04-800-
02-05 से स्थानान्तरित)

04-जिला तथा अन्य सड़के

02-अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल
कम्पोनेन्ट प्लान

Voted

5	0	5	4	0	4	3	3	7	0	2	0	2
मानक मद का नाम		पूर्व में जारी		वर्तमान में जारी		अब तक का व्यय		योग				
53-वृहद निर्माण		40000		10000		0		50000				
योग		40000		10000		0		50000				

Total Current Allotment To HOD In Above Schemes-Rs.10,000 (Rupees Ten Thousand Only)

Approval Status : APPROVED BY OFFICER

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग
"नियोजन-1" उत्तराखण्ड देहरादून

Office of the Engineer in Chief, PWD, Dehradun Uttarakhand

Web-http://govt.ua.nic.in/pwd

E-mail: eicpwduk@nic.in

phone/ Fax:- 0135-2531154/2530431



पत्रांक- 106 /20 याता0'क'नियो0-1/2024

दिनांक- 8 .02.2024

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय लोक निर्माण विभाग, पौड़ी।
- अधीक्षण अभियन्ता, 07 वां वृत्त, लोक निर्माण विभाग, गोपेश्वर।
- अधिशाली अभियन्ता निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, थराली।
- अधिशाली अभियन्ता, आई0टी0सैल विभागाध्यक्ष, कार्यालय लोक निर्माण विभाग, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि उक्त शासनादेश की प्रति विभागीय "वैबसाईट" पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
- कनिष्ठ अभियन्ता प्राविधिक/बजट वर्ग, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।

प्रशासनिक अधिकारी
कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड
देहरादून